17

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 948/।।/2013 – विरूध्द – आदेश दिनांक 27–2–2013 पारित – व्दारा – अपर कलेक्टर, जिला पन्ना – प्रकरण कमांक 2 अ 21/2012–13 स्वमेव निगरानी

श्रीमती संगीता मिश्रा पत्नि रामसिरोमणि
निवासी ग्राम पहाड़ीखेरा तहसील व जिला पन्ना ———आवेदिका

विरूध्द

1– श्रीराम गर्ग पुत्र रामविश्वास गर्ग
निवासी ग्राम पहाड़ीखेरा तहसील व जिला पन्ना
2– रामलखन पुत्र राममिलन ब्राहमण
निवासी ग्राम भसूड़ा तहसील पन्ना ———अनावेदकगण

आवेदिका के अभिभाषक श्री सुनील जादौन
अनावेदक की ओर से श्री नरेन्द्र पाण्डे

आदेश

(आज दिनांक 28.8.2014 को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर पन्ना द्वारा प्र0क0 01 अ 21/2012–13 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दि0 27–2–2013 के विरूद्व म0 प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक कमांक–1 ने जनसुनवाई के दौरान इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम पहाड़ीखेड़ा स्थित भूमि सर्वे नबर 9, 388, 44 कुल किता 3 कुल रकबा 0.82 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया है) अनावेदक क–2 को शासकीय पटटेदार के रूप में प्राप्त हुई है किन्तु इस पटटेदार व्दारा बिना कलेक्टर की अनुज्ञा के आवेदिका के हित में भूमि विकय करके संहिता की धारा 165 का उल्लंघन किया है इसलिये कार्यवाही की जाय। अनावेदक कमांक–1 के आवेदन की जांच नायव तहसीलदार पन्ना से कराई जाने पर जांच प्रतिवेदन दि.15.1.2013

प्राप्त होने पर अपर कलेक्टर ने आवेदिका के विरूद्व प्रकरण कमांक 2 अ 21/2012–13 स्वमेव निगरानी पंजीबद्व किया तथा आदेश दिनांक 27–2–13 पारित किया एंव वादग्रस्त भूमि के विकय पत्र को अकृत एंव शून्य घोषित करते हुये केता आवेदिका के हित में वादग्रस्त भूमि पर किये गये नामान्तरण को निरस्त करके शासकीय अभिलेख में मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज करने के आदेश दिये। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदिका के अभिभाषक के तर्क सुने गये । अनावेदक के अभिभाषक ने लेखी तर्क प्रस्तुत किये । अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदिका के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अनावेदक की ओर से प्रस्तुत लेखी बहस के अवलोकन पर यह तथ्य निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि अनावेदक क–2 को शासकीय पटटेदार की हैसियत से मध्य प्रदेश शासन से प्राप्त हुई है जैसाकि खसरा सन 1982–83 के लेखन से विदित होता है । वादग्रस्त भूमि पटटेदार अनावेदक कमांक–1 ने पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 31–8–2010 से आवेदिका को विकय की है। उभय पक्ष के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत मौखिक बहस एंव लेखी बहस के तथ्यों एंव अपर कलेक्टर के प्रकरण में नायव तहसीलदार पन्ना के प्रतिवेदन कमांक 22/प्रवाचक/2013 दिनांक 15 जनवरी 2013 के अवलोकन से पाया गया कि यह सही है कि वादग्रस्त भूमि अनावेदक कमांक–2 को शासन से पटटे पर प्राप्त हुई है और खसरा सन् 1982–83 में भूमिस्वामी के कालम में इस प्रकार प्रविष्टि रही है –

" रामलखन – राममिलन नि. भसूल शा.पटटेदार "

किन्तु वर्ष 1982–83 के खसरे के किसी भी कालम में यह दर्ज नहीं है कि वादग्रस्त भूमि किस प्रकरण कमांक एंव आदेश से तथा किस अधिकारी व्दारा शासकीय पटटेदार के रूप में प्रदान की गई। अर्थात इसके पूर्व के खसरा

पंचशाला की नायव तहसीलदार ने जांच नहीं की है और न ही तत्सम्बन्ध में नायव तहसीलदार अथवा अपर कलेक्टर ने वास्तविकता जानने का प्रयास किया है, जबकि आवेदिका के अभिभाषक के अनुसार पटटा वर्ष 1980 के पूर्व का है। प्रकरण में विचार योग्य बिंदु है कि जब पटटा वर्ष 1980 के पूर्व का है – क्या वर्ष 1980 के पूर्व पटटे पर प्राप्त भूमि का हुआ विकय दिनांक 31–8–2010 संहिता की धारा 165 (7)(ख) से प्रतिबन्धित है ? यदि माननीय वरिष्ठ न्यायालयों व्दारा इस संबंध में प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों पर विचार किया जाय –

1. भू–राजस्व संहिता 1959 (म0प्र) – धारा 165 (7–ख) तथा 158 (3) – का लागू होना – उपबंधों के अंतः स्थापन से पूर्व पटटा तथा भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये – बिना अनुमति के भूमि का अंतरण – उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया – उपबंध आकर्षित नहीं होते हैं – भूमिस्वामी का अंतरण का अधिकार निहित अधिकार है "। फुल्ला विरूद्व नरेन्द्र सिंह तथा अन्य 2012 राजस्व निर्णय 256 (उच्च न्यायालय) से अनुसरित
2. आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. विरूद्व मध्य प्रदेश राज्य तथा एक अन्य 2013 रा. नि. 8 (उच्च न्यायालय) का न्यायिक दृष्टांत इस प्रकार है :–
भू राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) – धारा 165 (7–ख) में यह उल्लेख नहीं है कि भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगी। इस धारा के उपबंधों से यह स्पष्ट है कि यह भूमिस्वामी व्दारा अर्जित निहित अधिकार छीनती है तथा भूमि के विकय के विषय में कलेक्टर से पूर्व अनुमति लेने के सम्बन्ध में नया दायित्व श्रृजित करती है या नया कर्तव्य अधिरोपित करती है, अतएव धारा भूतलक्षी प्रवर्तन होने की उपधारणा नहीं की जा सकती।
जो भूमिस्वामी अधिकार 1978 में दिये गये , संहिता की धारा 165 (7–ख) के अंतर्गत छीने नहीं जा सकता। भूमिस्वामी को विकय करने का निहित अधिकार है उनके अधिकार संहिता की धारा 165 (7–ख) के अंतः स्थापन से उन्मुक्त तथा अप्रभावित हैं और संहिता की धारा 158 (3) की स्थिति वही रहेगी, क्योंकि यह 28–10–1992 के सॅशोधन व्दारा अंतः स्थापित की गई है।

उक्त से स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर पन्ना व्दारा पारित आदेश 27.2.2013 आधारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5/ अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 27–2–2013 के अवलोकन पर पाया

गया कि उन्होंने वादग्रस्त भूमि के विकय पत्र दिनांक 31.8.10 को 23.01.2013 को स्वमेव निगरानी में लिया है एंव विकय पत्र को अकृत एंव शून्य घोषित कर वादग्रस्त भूमि केता आवेदिका के नाम से तथा विकेता अनावेदक–2 के नाम से हटाकर अभिलेख में शासकीय दर्ज करने का आदेश दिया है, जबकि प्रकरण में आये तथ्यों से स्थिति इस प्रकार है :–

1. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा 50 – जब किसी पक्षकार को बहुमूल्य अधिकार प्राप्त हो गए हों तब विलम्ब से किया गया पुनरीक्षण अवधि–वाधित है और ऐसा विलम्ब 01 वर्ष भी अयुक्तियुक्त है।
2. भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 – भूमि का आवन्टन किया गया – सरकारी भूमि घोषित नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकारी पदाधिकारियों व्दारा गल्तियॉ की गई – प्रशासनिक अधिकारियों व्दारा की गई त्रृटियों के कारण पात्र भूमिहीन को भूमि के लाभ से बंचित नहीं किया जा सकता । (इन्दरसिंह तथा अन्य विरूद्व म.प्र.शासन 2009 रा.नि. 251 से अनुसरित)

स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर ने आवेदिका व्दारा कय की गई भूमि एंव कय उपरांत राजस्व अधिकारियों व्दारा किये गये नामान्तरण को शून्य घोषित करते हुये वादग्रस्त भूमि खसरे में शासकीय दर्ज करने का आदेश देने में भूल की है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर पन्ना द्वारा निगरानी अपर कलेक्टर पन्ना द्वारा प्रकरण कमांक 01 अ 21/2012–13 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दि0 27–2–2013 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। परिणामतः कि ग्राम पहाड़ीखेड़ा स्थित भूमि सर्वे नबर 9, 388, 44 कुल किता 3 कुल रकबा 0.82 हैक्टर पर आवेदिका के हित में किया गया नामांत्रण एंव अभिलेखीय अमल यथावत् रहता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर